मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

दिनांक, भोपाल २६.07.2024

क्रमांक-1663880/2023/10-2, राज्य सरकार एतद्द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 (ख) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 के उप नियम (i) के प्रावधान अनुसार प्रदेश में जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का अनुमोदन करता है।

संलग्न :- दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से आदेशानुसार

26/7/2024

(अतुल कुमार मिश्रा)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ क्रमांक-1663880/2023/10-2 दिनांक, भोपाल २६.07.2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वन, पर्यावरण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, वन, पर्यावरण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26/7/2024

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रकिया का निर्धारण

1. **पृष्ठभूमि** – भारत सरकार द्वारा जैवविविधता के संरक्षण हेतु जैवविविधता अधिनियम 2002, जैवविविधता नियम, 2004 एवं जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 अधिसूचित किये गये हैं। इसी कम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 बनाये गये हैं। अधिनियम के कियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है, जिसमें शीर्ष पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य निम्नानुसार है–

1.1 जैवविविधता का संरक्षण (Conservation of biodiversity)

1.2 जैवविविधता का संवहनीय उपयोग (Sustainable use of biodiversity)

1.3 जैव संसाधनों से उद्भूत लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन (Fair and equitable benefit sharing)

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के कियान्वयन की त्रिस्तरीय संरचना के तीसरे पायदान पर जैवविविधता प्रबंधन समितियां हैं। अधिनियम की मंशा अनुरूप जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारी एवं विर्निमाताओं से प्राप्त होने वाली लाभ प्रभाजन राशि का 95 प्रतिशत स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों को उपलब्ध कराया जाना है। जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन से संबंधित वैधानिक प्रावधान एवं मध्यप्रदेश में जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन के कियान्वयन हेतु स्थापित व्यवस्था का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

2. **मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के ए.बी.एस. खाते में जमा राशियों का विवरण–**

2.1– **फार्म शुल्क** – मध्यप्रदेश से वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैवसंसाधन प्राप्त करने वाले व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम, 17(1) के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रारूप फार्म–1 (परिशिष्ट–2) में आवेदन के साथ राशि रू. 1000/– फार्म शुल्क जमा किया जाता है।

2.2– **लाभ प्रभाजन राशि** – मध्यप्रदेश से वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैवसंसाधन प्राप्त करने वाले व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के विनियम 3 एवं 4 के प्रावधान अनुसार प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के जैवविविधता निधि खाते में जमा की जाती है।

2.3– **अर्थदण्ड की राशि** – जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 56 के प्रावधान अंतर्गत अधिरोपित अर्थ दण्ड की राशि।

2.4–एबीएस खाते में प्राप्त ब्याज की राशि।

3. म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि के वितरण हेतु दिशानिर्देश–

भारत शासन द्वारा अधिसूचित जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के विनियम 15 (2) में फायदो का बंटाना (Sharing of Benefits) अनुसार राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैव संसाधनों से उद्भूत फायदों का 95 प्रतिशत संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति या फायदे का दावा करने वालों को, जहां उनकी पहचान की गई है, दिया जावेगा। उपरोक्त प्रावधान अनुसार म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के राज्य जैवविविधता निधि में प्राप्त एबीएस राशि का वितरण निम्नलिखित प्रकियानुसार किया जावेगा :–

3.1– जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि के वितरण की प्रकिया –

3.1.1– प्रत्येक क्षेत्रीय वनमंडल/टाईगर रिजर्व/मध्यप्रदेश वन विकास निगम की क्षेत्रीय ईकाई के अधिकारिता क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा जमा की गई लाभ प्रभाजन की राशि का वितरण संबंधित पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो. **के माध्यम से नामांकित जैव विविधता प्रबंधन समितियों/संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को किया जावेगा।**

3.1.2– बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय वनमंडल/टाईगर रिजर्व/मध्यप्रदेश वन विकास निगम की क्षेत्रीय ईकाई से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा संबंधित क्षेत्रीय ईकाई के पदेन **सहायक सदस्य सचिव द्वारा नामांकित जैव विविधता प्रबंधन समितियों/संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के खातों में सीधे विमुक्त की जावेगी।** यह राशि उन स्थानीय निकाय/वन परिक्षेत्रों के अंतर्गत गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को उपलब्ध करायी जायेगी जहां से जैव संसाधन संग्रहित/एकत्रित किये गये है। साथ ही जहां फायदे के दावेदार अथवा व्यक्ति के समूहों अथवा संगठन की पहचान की गई हो वहां यह राशि सीधे उन्हें प्रदान की जावेगी।

3.1.3– बोर्ड द्वारा शेष 5 प्रतिशत राशि में से 2.5 प्रतिशत राशि क्षेत्रीय वन मंडल/टाईगर रिजर्व/म.प्र. वन विकास निगम लिमिटेड के सहायक सदस्य सचिव को जैवविविधता प्रकोष्ठ के प्रशासनिक व्यय हेतु प्रदान की जावेगी। 2.5 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग की जा सकेगी।

3.2 –जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले विर्निमाताओं से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि के वितरण की प्रकिया

3.2.1–विर्निमाताओं से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि का 95 प्रतिशत फायदे के दावेदारों अथवा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को जिनके क्षेत्राधिकार से जैवसंसाधन प्राप्त किया गया है, को, संबंधित क्षेत्रीय इकाई के पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो. के माध्यम से **नामांकित जैव विविधता प्रबंधन समितियों/संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के खातों में सीधे विमुक्त की जावेगी।**

3.2.2–विर्निमाताओं से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि की 5 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग की जा सकेगी।

3.3 – लाभ प्रभाजन राशि के वितरण से संबंधित मार्गदर्शी बिन्दु :

3.3.1– पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा व्यापारियों/विनिर्माताओं से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) से अनुमोदन उपरांत वितरित की जावेगी।

3.3.2–दो या दो से अधिक समितियों से संग्रहित जैव संसाधन से प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि को समानुपातिक रूप से संबंधित समितियों को जैवविविधता संरक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3.3–यदि आवेदक जैवसंसाधन की प्राप्ति स्थल बताने में असमर्थ है अथवा खुले बाजार/मण्डी से जैवसंसाधन क्रय किया गया है, तो यह राशि उन क्षेत्रों में वितरित की जावेगी जहॉ पर इन जैवसंसाधनों की प्रचुरता है अथवा प्राकृतिक रूप से पाये जाते है।

3.3.4–जैव संसाधन प्राप्ति/संग्रहण की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो. अथवा क्षेत्रीय ईकाई के पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो. स्वविवेक से निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

3.3.5–फार्म–1 के साथ प्राप्त पंजीयन शुल्क का उपयोग बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु किया जायेगा।

3.3.6–जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 56 के प्रावधान अंतर्गत अर्थ दण्ड की राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :–

(अ) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को जहॉ से जैव संसाधन प्राप्त किया गया है को 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(ब) संबंधित वनमंडल को, जिनके द्वारा उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है को 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि का उपयोग वनमंडल अंतर्गत संरक्षण गतिविधियों, एबीएस से संबंधित प्रशिक्षण, वाणिज्यिक उपयोग के जैव संसाधनों के सर्वेक्षण एवं आंकलन, प्रचार–प्रसार, इत्यादि हेतु किया जायेगा।

(स) 20 प्रतिशत म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

3.3.7–राज्य जैवविविधता निधि खाते में प्राप्त ब्याज की राशि का 95 प्रतिशत म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण हेतु चिन्हांकित गतिविधियों जैसेः–जैवविविधता विरासत स्थलों का संरक्षण–संवर्धन, दुर्लभ, संकटापन्न एवं संकटग्रस्त (Rare, Endangered, Threatened) प्रजातियों के संरक्षण–संवर्धन इत्यादि के लिए किया जावेगा। शेष 5 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग की जा सकेगी।

4. जैवविविधता प्रबंधन समितियों को प्रदाय लाभ प्रभाजन राशि का उपयोग।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों को प्रदाय एबीएस राशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों के लिए किया जा सकता हैः–

4.1–वानिकी जैवविविधता संरक्षण (संवहनीय प्रबंधन एवं संसाधन वृद्धि) –

1. नर्सरी/रोपणी तैयार करना – वाणिज्यिक महत्व के जैवसंसाधनों (Tradable Bioresource)/स्थानीय जैवविविधता/दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों की नर्सरी, तैयार करना एवं उनके रोपण को बढावा देना।
2. बीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध वृक्ष एवं औषधीय पौधों का समयानुसार बीज संग्रहण एवं नर्सरी में पौधा तैयार कर रोपण को बढावा देना।
3. क्षेत्र से विलुप्त हो रही या हो चुकी/संकटापन्न वानस्पतिक प्रजातियों का रोपण, बीज संग्रहण एवं खेती करना।
4. समिति क्षेत्र में उपलब्ध लघु वनोपज को समिति स्तर पर क्रय करके व्यापार किया जाना।
5. लघु वनोपज की ग्रेडिंग एवं प्राथमिक प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां संचालित करना अथवा शासन की प्रचलित योजनाओं में सहयोग करना।
6. वानिकी जैव संसाधनों एवं जड़ी बुटियों का संवहनीय संग्रहण, असंवहनीय विदोहन के लिए स्थानीय समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना एवं प्रशिक्षण प्रदाय करना।
7. क्षेत्र में उपलब्ध जैव संसाधनों के मूल्य संवर्धन (Value addition) पर काम करना।

4.2–कृषि/उद्यानिकी जैवविविधता संरक्षण

1. कृषि/उद्यानिकी की स्थानीय/पारंपरिक किस्मों का संवर्धन करना।
2. विलुप्त हो रही कृषि/उद्यानिकी की पारंपरिक किस्मों के बीजों को एकत्रित करना। सीड बैंक के माध्यम से पारंपरिक किस्मों का संरक्षण करना एवं इच्छुक कृषकों को बीज उपलब्ध कराना।

4.3–पालतू पशुओं का संरक्षण

1. पशुओं की देशी/स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना।

4.4– लोक जैवविविधता पंजी

1. लोक जैवविविधता पंजी के आधार पर स्थानीय जैवविविधता प्रबंध योजना का निर्माण व कियान्वयन, एवं पंजी का समय–समय पर अद्यतनीकरण।

4.5– संसाधन विकास एवं रहवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कार्य।

5. – लाभ प्रभाजन राशि का लेखांकन एवं रिपोर्ट।

5.1– लाभ प्रभाजन राशि जैवविविधता प्रबंधन समिति के स्थानीय जैवविविधता निधि खाते में जमा की जायेगी।

5.2– जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 24 (1–7) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा अभिलेखित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की कार्यप्रणाली (वित्तीय एवं प्रशासकीय दिशानिर्देश) में उल्लेखित प्रकिया अनुसार लेखा संधारित किया जायेगा।

5.3– जैवविविधता प्रबंधन समिति लाभ प्रभाजन राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वार्षिक प्रतिवेदन क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रेषित करेगी और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

5.4– पदेन सहायक सदस्य सचिव उनके कार्य क्षेत्र में लाभ प्रभाजन राशि वितरण का वार्षिक प्रतिवेदन पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.वि.बो. एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रेषित करेंगे।

(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वैधानिक प्रावधान – जैवविविधता अधिनियम, 2002, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 एवं जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के अंतर्गत लाभ प्रभाजन से संबंधित वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार है–

1–जैवविविधता अधिनियम, 2002

(i) जैवविविधता अधिनियम की धारा 2 में परिभाषायें निम्नानुसार वर्णित हैं–

(क) "फायदे के दावेदार" से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पाद के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंधित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत है;

(a) "benefit claimers" means the conservers of biological resources, their by-products, creators and holders of knowledge and information relating to the use of such biological resources, innovations and practices associated with such use and application;

(छ) "उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाना" से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है;

(g) "fair and equitable benefit sharing" means sharing of benefits as determined by the National Biodiversity Authority under section 21;

(ii) जैवविविधता अधिनियम की धारा 32 में निम्नानुसार वर्णित हैं–

(1) राज्य जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :

(1) There shall be constituted a Fund to be called the State Biodiversity Fund and there shall be credited thereto -

(क) धारा 31 के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान या ऋण।

(a) any grants and loans made to the State Biodiversity Board under section 31;

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान या ऋण;

(b) any grants or loans made by the National Biodiversity Authority;

(ग) ऐसे अन्य संसाधनों से राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

(c) all sums received by the State Biodiversity Board from such other sources as may be decided upon by the State Government.

(2) राज्य जैव विविधता निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा,

(2) The State Biodiversity Fund shall be applied for –

(क) विरासतीय स्थलों का प्रबंध और संरक्षण;

(a) the management and conservation of heritage sites;

(ख) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर देना और उनका पुनःस्थापन;

(b) compensating or rehabilitating any section of the people economically affected by notification under sub-section (1) of section 37;

(ग) जैव संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन;

(c) conservation and promotion of biological resources;

(घ) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक विकास, जहां से संबंधित स्थानीय निकायों के परामर्श से धारा 24 के अधीन किए गए आदेश के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ऐसे जैव संसाधनों या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध हुआ है;

(d) socio-economic development of areas from where such biological resources or knowledge associated thereto has been accessed subject to any order made under section 24, in consultation with the local bodies concerned;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय की पूर्ति।

(e) meeting the expenses incurred for the purposes authorized by this Act.

(iii) जैवविविधता अधिनियम की धारा 43 में निम्नानुसार वर्णित हैं–

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता निधि के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जाएगा जहां कोई संस्था स्वशासित रूप में कार्य कर रही हो और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा।

(1) There shall be constituted a Fund to be called the Local Biodiversity Fund at every area notified by the State Government where any institution of self-government is functioning and there shall be credited thereto –

(क) धारा 41 के अधीन दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(a) any grants and loans made under section 42;

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिए गए कोई अनुदान और ऋण;

(b) any grants or loans made by the National Biodiversity Authority;

(ग) राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा दिए गए कोई अनुदान या ऋण;

(c) any grants or loans made by the State Biodiversity Boards;

(घ) धारा 41 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा प्राप्त फीस;

(d) fees referred to in sub-section (3) of section 41 received by the Biodiversity Management Committees;

(ङ) ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियों जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

(e) all sums received by the Local Biodiversity Fund from such other sources as may be decided upon by the State Government.

(iv) जैवविविधता अधिनियम की धारा 44 में निम्नानुसार वर्णित हैं–

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय जैव विविधता निधि का ऐसी रीति से प्रबंध–तंत्र और उसकी अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति तथा वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the management and the custody of the Local Biodiversity Fund and the purposes for which such Fund shall be applied, be in the manner as may be prescribed by the State Government.

(2) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए और सामुदायिक फायदे के लिए, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा।

(2) The Fund shall be used for conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity.

2–मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के अंतर्गत प्रावधान

(i) मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 का नियम 20 – राज्य जैवविविधता निधि का प्रचालन –

(1) राज्य जैव विविधता निधि को बोर्ड के सदस्य सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रचालित किया जायेगा।

(1) The State Biodiversity Fund shall be operated by the Member Secretary of the Board or by such any other officer of the Board as may be authorized by the Board in this behalf..

(2) राज्य जैव विविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे। एक में केन्द्र शासन/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य स्त्रोतों की प्राप्तियॉं (अनुदान तथा ऋण) सम्मिलित होंगी तथा दूसरा फीस अनुज्ञप्ति फीस, रॉयल्टी तथा बोर्ड की अन्य प्राप्तियों से संबंधित होगा।

(2) The State Biodiversity Fund shall have two separate heads of accounts, one relating to the receipts (grants and loans) from the Central Government/National Biodiversity Authority and State Government, including receipts from such other sources as decided by the Board and the other concerning the fee, licence fee, royalty and other receipts of the Board.

(3) राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त राज्य विधानमंडल द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात ऐसी राशि बोर्ड को संदत्त करे जैसी कि अधिनियम के प्रयोजन से हो, उपयोग किये जाने के लिये राज्य सरकार उचित समझे।

(3) The State Government shall after due appropriation made by the State legislature by the law in this behalf, pay to the Board such sum of money, as the State Government may think fit for being utilized for the purpose of the Act.

(4) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिये कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनिश्चिय पारदर्शी एवं जनता के प्रति जवाबदेह हों, मार्गदर्शन सिद्धांत विरचित करेगा।

(4) The Board shall frame guidelines on ways to ensure that decisions regarding the management and use of the fund are transparent and accountable to the public.

(ii) **मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 का नियम 24** – राज्य जैवविविधता निधि का प्रचालन –

(1) स्थानीय निकाय के स्तर पर स्थानीय जैव विविधता निधि गठित की जायेगी।

(1) At the level of local body, the local biodiversity fund shall be constituted.

(2) बोर्ड, स्थानीय निकाय को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ऋण या अनुदान उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक उसके द्वारा पहचाने गये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये या अन्य स्त्रोतों के माध्यम से भी पहुंच सकेगा।

(2) The Board shall provide to the local body any loan or grant received by it from State Government, Central Government or from the Authority for the purposes of the Act. The local body can also access such funds from other sources as it identifies, or as specified by the Board.

(3) स्थानीय जैव विविधता निधि का परिचालन जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा निधि के प्रचालन के लिये ऐसी रीति सम्मिलित करते हुये मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी जिसमें इसके कृत्य संबंधित स्थानीय निकायों के समस्त सदस्यों के लिये पारदर्शक तथा उत्तरदायी हों।

(3) The local biodiversity fund shall be operated by the Biodiversity Management Committees. The Board shall lay down the operational guidelines for operation of the fund by the Biodiversity Management Committees, including ways, in which its functioning is transparent and accountable to all members of the relevant local body.

(4) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिये तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिये, जहॉ तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण के संगत है, किया जायेगा।

(4) The fund shall be used for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity.

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा ऐसे प्रारूपों में जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समयों पर, जैसा कि विहित किया जाये, तैयार किया जायेगा।

(5) The account of the local biodiversity fund shall be prepared in such forms as may be specified by the Board and during each financial year at such time, as may be prescribed.

(6) जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुये एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

(6) The Biodiversity Management Committees shall prepare its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the Board and a copy to the general assembly of the local body.

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे ऐसे तरीके से संधारित तथा संपरीक्षित किये जायेंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(7) The accounts of the local biodiversity fund shall be maintained and audited in such manner, as may be specified by the Board.

3– "जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014"

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के विनियम, 15(2) में निम्नानुसार प्रावधानित है।

(2) जहां इन विनियमों के तहत राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

उपार्जित लाभों का बंटवारा निम्नानुसार होगाः – एसबीबी अपने प्रशासनिक शुल्कों के लिए अर्जित लाभों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं, एक हिस्सा रख सकता है और शेष हिस्सा संबंधित बीएमसी को या दावेदारों को लाभ देने के लिए पारित किया जाएगा, जहां पहचान की गई है:

Where approval has been granted by State Biodiversity Board under these regulations:- The sharing of accrued benefits shall be as under:- the SBB may retain a share, not exceeding 5% of the benefits accrued towards their administrative charges and the remaining share shall be passed on to the BMC concerned or to benefit claimers, where identified:

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति या समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती है, ऐसी निधियों का उपयोग जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को समर्थन देने और

स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जहां से जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

Provided that where any individual or group or organizations cannot be identified, such funds shall be used to support conservation and sustainable use of biological resources and to promote livelihoods of the local people from where the biological resources are accessed.

4–मध्यप्रदेश में जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की व्यवस्था – जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों का मैदानी स्तर पर कियान्वयन करने हेतु मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क. आर–1868–957–2018–दस–2 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 एवं अधिसूचना कमांक आर–1637–449–2019–दस–2 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा म.प्र. जैवविविधता नियम–2004, के नियम–17 (4) के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारियों को निम्नानुसार म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन अधिकारी घोषित किया गया है :–

1 – समस्त मुख्य वनसंरक्षक क्षेत्रीय वन वृत्त/क्षेत्र संचालक, टाईगर रिज़र्व एवं क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड – पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड।

2 – समस्त वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमंडल/उप संचालक, टाईगर रिजर्व एवं क्षेत्रीय प्रभागीय प्रबंधक म.प्र. वन विकास निगम लिमिटेड– पदेन सहायक सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड।

समस्त पदेन सहायक सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में व्यापारियों से जैवसंसाधनों तक पहुँच के लिए लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) एवं अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत किया गया है।